हरिभूमि
रायगढ़ भूमि - Page 1
14 July 2025

पिछली याचिका में नहीं मिली थी राहत, अब ठोस दस्तावेज़ों के साथ होंगे पेश

मीना बाजार बनाम जनता : अबकी बार ठोस सबूतों के साथ कोर्ट में आर-पार की तैयारी

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायगढ़

शहर में संचालित होने जा रहा मीना बाजार एक बार फिर विवादों में है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारी संगठनों ने मीना बाजार के संचालन को लेकर फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह वही मामला हैए जिसमें पिछले वर्ष भी याचिका लगाई गई थी, लेकिन पर्याप्त दस्तावेजों और तकनीकी कारणों के अभाव में राहत नहीं मिल पाई थी।

इस बार याचिकाकर्ता पूरी तैयारी के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। उनके मुताबिक बाजार संचालन के कारण ट्रैफिक जाम, ध्वनि प्रदूषण, और सार्वजनिक असुविधा जैसी समस्यां लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह अस्थायी दुकानों को अनुमति दी गई है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निगम ने जिन शर्तों पर मीना बाजार को अस्थायी अनुमति दी थी, उसका पालन नहीं किया गया। बाजार के लिए तय क्षेत्र से बाहर तक दुकानें लग गईं, जिसके चलते मुख्य सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह बाधित हो जाता है। इसके अलावा कई दुकानों में तेज आवाज में डीजे और स्पीकर बजाए जाते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी असुविधा होती है।

मीना बाजार बंद करवाने लड़ेंगे सड़क की लड़ाई

शहर के बीचों बीच शुरू होने का रहे मीना बाजार को लेकर अब लोगों का सब्र टूटने लगा है। प्रशासनिक चुप्पी और बढ़ती अव्यवस्थाओं के बीच अब स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने साफ कर दिया है कि अगर कोर्ट से न्याय नहीं मिला, तो अब सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। मीना बाजार को लेकर कई बार शिकायतें की गईं, याचिका भी दायर हुई, लेकिन स्थिति जस की तस है। अब जनता खुलकर सामने आ रही है और जल्द ही विरोध प्रदर्शन, जनसभा और रैली के माध्यम से दबाव बनाने की रणनीति बनाई जा रही है।

पूर्व में यह रहा था मामला

पिछले साल जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा थाए तब कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता पर्याप्त प्रमाण नहीं दे सके। कोर्ट ने यह भी कहा था कि नगर निगम को पहले इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलना चाहिए। अब एक साल बाद, शिकायतकर्ताओं ने आरटीआई और निगम से प्राप्त दस्तावेजों, मीडिया रिपोर्टों, और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर नया केस तैयार किया है।

स्थानीय व्यापारी भी परेशान

शहर के व्यापारियों का कहना है कि मीना बाजार के चलते स्थायी दुकानों की बिक्री पर असर पड़ता है। बाजार में बिना पंजीयन अस्थायी दुकानदार आते हैं, सस्ते दाम में सामान बेचते हैं, टैक्स नहीं देते, और हमारे ग्राहक खींच ले जाते हैं, एक स्थानीय व्यापारी ने बताया कि पहले एक मीना लगती थी। लेकिन इस साल तीन मीना बाजार लगने की तैयारी है। ऐसे में एक महीने तक बिक्री पर असर पड़ेगा।

जनहित में दाखिल होगी याचिका

याचिकाकर्ता इस बार मामले को जनहित याचिका के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी में हैं। याचिका में निगम प्रशासन की ओर से दी गई स्वीकृति प्रक्रिया, उसके प्रावधान, बाजार के सुरक्षा मानकों, फायर सेफ्टी, स्वच्छता, ट्रैफिक और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी सभी जानकारी शामिल की जाएगी। अब देखना होगा कि इस बार कोर्ट इस याचिका को किस तरह लेती है और क्या रायगढ़ में मीना बाजार के संचालन पर कोई स्थायी फैसला आता है या नहीं।

जान जोखिम में डालकर पटरी पार करते हैं लोग

मीना बाजार के चलते शहर के अंडरब्रिज तक यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है। रेलवे पटरी के दोनों ओर लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी होती है। खासकर महिलाए बुजुर्ग और स्कूली बच्चों को अंडरब्रिज पार करना मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी साबित होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मीना बाजार के कारण अंडरब्रिज में लगातार भीड़ बनी रहती है, जिससे पैदल चलने वालों को जगह नहीं मिलती। कई बार तो लोग रेलवे ट्रैक पार करने को मजबूर हो जाते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है।